न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 11 / 2024

राज.सरकार जरिये अर्पित अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......**प्रार्थी**

बनाम

श्री सोनू कुमार पुत्र बीधाराम, राजकीय महाविद्यालय के सामने बैलारा नदबई, जिला भरतपुर

.......**अप्रार्थी0**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद – प्रार्थी
2–पंकज कुमार – अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 19.02.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा राजकीय महाविद्यालय के सामने ग्राम बैलारा नदबई में सोनू–मौनू किराना स्टोर पर पहुॅचे। मौके पर कराना स्टोर एवं उसके पीछे सोनू कुमार के घर की जॉच की गई। उक्त प्रतिष्ठान में एक एलपीजी हस्तान्तरण की विद्युत चालित मोटर उपलब्ध पायी गई एवं एक एचपीसीएल कम्पनी का भरा हुआ घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद पाया। घर की तलाशी में रसोर्ठ घर के अतिरिक्त अन्य दो कमरों में 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव द्वामता के 6 गैस सिलेण्डर उपलब्ध पाये गये सभी सिलेण्डरों के संग्रहण प्राप्ति एवं उपयोग बाबत कोई दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का विहित कानूनी स्थान कनैक्शन जारी किये गये उपभेक्ता के रसोढ घर में है। अतः मौके पर पाये गये 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17 गैस सिलेण्डरों को जप्त किया जाकर सुपुर्दगी में राधे गैस ऐजेन्सी नदबई को दिये गये। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग होना पाया गया एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्तशुदा 14.2 किग्रा. के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17 गैस सिलेण्डरों को राजसात (Conficate) किये जाने की प्रार्थना की गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.......2

प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम सोनू कुमार

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी0 की ओर से एड0 पंकज कुमार ने वकालतनामा एवं जबाव पेश किया गया, दोनों शामिल मिसिल किये गये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनीं गई। वकील अप्रार्थी ने वताया कि उसका जवाव ही उसकी बहस मानी जावे।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि सोनू–मौनू किराना स्टोर में मौके पर एक एल.पी.जी हस्तान्तरण की विद्युत चालित मोटर मौजूद पाई गई साथ ही रसोई घर के अतिरिक्त अन्य दो कमरों में 14.2 किग्रा. के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17 गैस सिलेण्डर अवैधरूप से संग्रहण एवं उपयोग होना पाये गये, जिस वावत अप्रार्थी सोनू कुमार द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में जप्त 14.2 किग्रा. के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव में कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान मुख्य चौराये पर होने के कारण आस–पास के उपभोक्ता प्रार्थी की दुकान पर सलेण्डर रख जाते हैं। गैस ऐजेन्सी की गाडी आने पर ऐजेन्सी के कर्मचारी खाली सलेण्डर ले जाकर भरा सलेण्डर रख देते हैं जिसे वापिस उपभोक्ता ले जाते हैं। प्रार्थी द्वारा किसी गैस सलेण्डर की कोई रिफलिंग नहीं की जाती है। समस्त आरोप बेबुनियाद होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार रसद एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी0 की प्रतिष्ठान एवं घर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैधरूप से संग्रहित होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जवाव एवं मौखिक कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी का यह कथन करना कि अप्रार्थी की दुकान चौराहे पर है, आस–पास के उपभोक्ता प्रार्थी की दुकान पर सलेण्डर रख जाते हैं। गैस ऐजेन्सी की गाडी आने पर ऐजेन्सी के कर्मचारी खाली सलेण्डर ले जाकर, भरा सलेण्डर रख देते हैं जिसे वापिस उपभोक्ता ले जाते हैं। प्रार्थी द्वारा किसी गैस सलेण्डर की कोई रिफलिंग नहीं की जाती है। स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी सोनू कुमार द्वारा जप्त एलपीजी हस्तान्तरण की 01 विद्युत चालित मोटर, 14.2 किग्रा. के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 11 / 2024
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम सोनू कुमार

गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कोई भी वैध दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग करने एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 14.2 किग्रा. के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 किग्रा. भराव क्षमता के 6 गैस सिलेण्डर, कुल 17 गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे साथ ही जप्त एलपीजी हस्तान्तरण की 01 विद्युत चालित मोटर को भी नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर